

कार्यालय नगर पालिका परिषद गुलावठी जनपद बुलन्दशहर
ई-निविदा सूचना (अतिअल्पकालीन)

पत्रांक 2178/न0पा0प0गु0/2020-21

दिनांक : 5 जून 2020


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपने वसूली सम्बन्धी निम्न ठेकों को निविदा के आधार पर छोड़े जाने की प्रक्रिया शासनादेश सं0 617/9-9-2012-160ज/2011 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 05 अप्रैल 2012 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 16 जून 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु उठाने के लिए निम्न प्रकार ई-निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। निविदाओं का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई-प्रिक्वोरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाओं से सम्बन्धित सूचना जिले की बैबसाईट <http://www.bulandshahr.nic.in> तथा पालिका की वेबसाईट www.nppgulaothibsr.in पर भी देखी जा सकती हैं।


निविदा स्कैन अर्नेस्टमनी एवं निविदा शुल्क की मूल प्रति कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय		15.06.2020 अपराह्न 12.00 बजे तक				
निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि एवं समय		06.06.2020 से 15.06.2020 अपराह्न 12.00 बजे तक				
निविदा खोलने की तिथि एवं समय		15.06.2020 अपराह्न 12.00 बजे				
क्र.सं.	विवरण	अनुमानित धनराशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र के मूल्य पर 18% G.S.T.	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	ठेका अड्डा पड़ाव।	1206981	120698	4000	720	289 दिन
2	ठेका लोडिंग-अनलोडिंग।	601198	60120	1500	270	289 दिन
3	ठेका होर्डिंग्स विज्ञापन बोर्ड।	164652	16465	1500	270	289 दिन

निविदाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बिन्दु एवं शर्तें :-

- सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी।
- निविदा शुल्क जी0एस0टी0 की धनराशि सहित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुलावठी के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार की निविदा को अवैध माना जायेगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/नकद कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुलावठी के पद नाम से बंधक होगी, की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक ठेके (मद) के लिए अलग-अलग सील बन्द लिफाफा देना होगा, जिसपर ठेके का स्पष्ट विवरण अंकित होगा। निविदादाता को अपना रंगीन फोटो पासपोर्ट साईज का निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक निविदा के साथ नगर पालिका परिषद गुलावठी द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नोटेरी शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ई-टैण्डर हेतु एस0बी0आई0 गुलावठी में E.O. Nagar Palika Par. Gulaothi D.M. Distt. Bulandshahr के नाम से खुले पालिका के खाता सं0 11054228397 IFSC code SBIN0003641 में भी निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि जमा की जा सकती है जिसकी रसीद निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
- निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय है।
- यदि किसी कारणवश निविदा दिनांक निर्धारित तिथि को नहीं खोली जाएंगी तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जाएंगी। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में निविदा न खोले जाने पर निविदा खोले जाने की अग्रिम सूचना नियमानुसार दे कर निविदा खोली जाएंगी।
- अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कॉपी टैण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।


- 10 किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद गुलावठी के सक्षम अधिकारी में सुरक्षित होगा।
- 11 अधिकतम धनराशि वाली निविदा को स्वीकृत किया जाएगा किन्तु किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदादाता को निविदा स्वीकृति के पश्चात् सम्पूर्ण धनराशि पालिका कोष में जमा करनी अनिवार्य होगी अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा द्वितीय अधिकतम धनराशि वाली निविदा को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।
- 12 शासनादेश संख्या 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक निविदा पत्र के साथ 100/-रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 13 अनुबन्ध हेतु स्टॉम्प द्वितीय द्वारा अपने खर्च पर खरीदना होगा। स्टॉम्प शुल्क की धनराशि में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे कराने की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। निर्धारित धनराशि के जनरल स्टॉम्प पर क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
- 14 केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेशों एवं उच्चधिकारियों तथा नगर पालिका के आदेशों का अनुपालन सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को करना होगा।
- 15 कार्य करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर पालिका की कोई जिम्मेदारी होगी और न ही पालिका किसी प्रकार की क्षति पूर्ति हेतु बाध्य होगी।
- 16 निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार, बुलन्दशहर होगा।
- 17 निविदा के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत सूचना एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में न0पा0प0गुलावठी के सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं।



 (मुक्ता सिंह)
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद गुलावठी
 जनपद बुलन्दशहर


 (काले खां कुरैशी)
 अध्यक्ष
 नगर पालिका परिषद गुलावठी
 जनपद बुलन्दशहर

प्रतिलिपि :-

- 1 जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 प्रभारी अधिकारी महोदय, स्थानीय निकाय, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 जिला सूचना राष्ट्रीय इन्फारमेशन केन्द्र, बुलन्दशहर को पत्र के साथ उक्त निविदा की सी0डी0 की एक प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इन निविदाओं को जिला बुलन्दशहर की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 4 उपजिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5 श्री निक्कू शर्मा, कम्प्यूटर ऑपरेटर को ई-टैण्डरिंग तथा पालिका की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 नगर पालिका परिषद, गुलावठी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद गुलावठी
 जनपद बुलन्दशहर


 अध्यक्ष
 नगर पालिका परिषद गुलावठी
 जनपद बुलन्दशहर